उत्तर प्रदेश शासन

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग

संख्या- 2/2026/10(1)/63-व0उ0-2026-10(एच)/2025

लखनऊ: दिनांकः 07 जनवरी, 2026

अधिसूचना संख्या- 10/63-व0उ0-2026-10(एच)/2025 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन हेतु अधिसूचना दिनांक- 07 जनवरी, 2026 की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
(4) आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी/संयुक्त आयुक्त/उप आयुक्त, उद्योग उ0प्र0।
(8) नियोजन अनुभाग-1
(9) विधायी अनुभाग-1
(10) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख (परिनियत आदेश) आगामी अंक में प्रकाशित कराकर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(11) गार्ड फाइल।

शासनादेश

(शेषमणि पाण्डेय)

विशेष सचिव

Uttar Pradesh Shasan

Hathkargha Evam Vastrodyog Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 10/63-व0उ0-2026-10(एच)/2025 dated.07 January, 2026

Notification

No. 10/63-व0उ0-2026-10(एच)/2025

Lucknow; Dated: 07 January, 2026

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act No. 6 of 1976), the Governor is pleased to declare that the area comprising the villages mentioned in Schedule-I below shall be an 'Industrial Development Area' to be called the "Uttar Pradesh Textile and Apparel Park Industrial Development Area".

2. The Governor, in exercise of powers under section 3 of the aforesaid Act, is further pleased to constitute, in respect of the above mentioned Industrial Development Area, for the purposes of the aforesaid Act, an authority to be called the "Uttar Pradesh Textile and Apparel Park Industrial Development Authority" consisting of members as specified in Schedule-II below.

3. The headquarters of the aforesaid Authority shall be at Kanpur Nagar.

SCHEDULE-I

List of 02 village areas of District Varanasi which shall comprise the "Uttar Pradesh Textile and Apparel Park Industrial Development Area"

S.No.	District	Revenue Village Name	Tehsil Name	Aarazi No.	Total Area in Hectares
I	II	III	IV	V	VI
1	Varanasi	Ramna	Sadar	373	20.250
2	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	237	0.076
3	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	238	0.046
4	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	239	0.108
5	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	241	0.089
6	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	284	0.881
7	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	285	0.311
8	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	286	0.267

9	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	288/1076	0.076
10	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	287	0.023
11	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	288	0.419
12	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	289	0.129
13	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	290	0.225
14	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	291	0.032
15	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	292	0.032
16	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	293	0.223
17	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	294	0.225
18	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	295	0.391
19	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	296	0.266
20	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	297	0.040
21	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	949	1.556
22	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	950	0.060
23	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	951	0.529
24	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	952	0.842
25	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	953	0.076
26	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	954	0.077
27	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	955	0.206
28	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	956	0.206
29	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	957	0.203
30	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	958	0.201
31	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	959	0.238
32	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	960	0.516
33	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	961	0.254
34	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	962	0.026
35	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	963	0.121
36	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	964	0.129
37	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	965	0.876
38	Varanasi	Naipura Kalan	Sadar	994	0.150

Total	**30.375**

SCHEDULE-II

The Uttar Pradesh Textile and Apparel Park Industrial Development Authority.

I	II	III
1.	The Additional Chief Secretary/Principal. Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Infrastructure and Industrial Development Department or his nominee not below the rank of Special Secretary - ex-officio;	Member-Chairman *Under section (3)(a)*
2.	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Public Works Department or his nominee not below the rank of Special Secretary — ex-officio;	Member *Under section 3(3)(b)*
3.	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Urban Development Department or his nominee not below the rank of Special Secretary — ex-officio;	Member *Under section 3(3)(c)*
4.	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Special Secretary — ex-officio;	Member *Under section 3(3)(d)*
5.	The Chief Executive Officer, Uttar Pradesh State Industrial Development Authority — ex-officio;	Member *Under section 3(3)(e)*
6.	The Additional Chief Secretary/Principal. Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Handloom And Textile Department or his nominee not below the rank of Special Secretary - ex-officio;	Member *Nominated under section 3(3)(f)*
7.	The Chairman, Uttar Pradesh State Power Corporation Limited- ex- officio;	Member *Nominated under section 3(3)(f)*
8.	The Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam,-ex-officio;	Member *Nominated under section 3(3)(f)*
9.	The Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh ex-officio	Member *Nominated under section 3(3)(f)*
10.	The Director and Commissioner, Handloom and Textile or his nominee not below the rank of Joint Commissioner, ex-officio;	Member *Nominated under section 3(3)(f)*
11.	The Chief Executive Officer, Uttar Pradesh Textile and Apparel Park Industrial Development Authority.	Member- *Secretary* *Under section 3(3)(g)*

By order,

(Anil Kumar Sagar)
Principal Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग-1

संख्या-10/63-व0उ0-2026-10(एच)/2025

लखनऊः दिनांकः 07 जनवरी, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 6 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची-एक में उल्लिखित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र 'औद्योगिक विकास क्षेत्र" होगा, जिसे "उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औद्योगिक विकास क्षेत्र कहा जायेगा।

2- पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अग्रतर पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उपरोल्लिखित औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में एक प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसे "उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल औद्योगिक विकास प्राधिकरण" कहा जायेगा, जिसमें नीचे अनुसूची-दो में यथा विनिर्दिष्ट सदस्य समाविष्ट होंगे।

3- पूर्वोक्त प्राधिकरण का मुख्यालय कानपुर नगर होगा।

अनुसूची-एक

जिला वाराणसी के 02 ग्राम क्षेत्रों की सूची जो 'उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल औद्योगिक विकास क्षेत्र' में समाविष्ट होंगे:-

क्र.स.	जिला	राजस्व ग्राम का नाम	तहसील का नाम	अराजी नम्बर	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	वाराणसी	रमना	सदर	373	20.250
2.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	237	0.076
3.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	238	0.046
4.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	239	0.108
5.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	241	0.089
6.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	284	0.881
7.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	285	0.311
8.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	286	0.267
9.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	286/1076	0.076
10.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	287	0.023
11.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	288	0.419
12.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	289	0.129
13.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	290	0.225

शासनादेश

14.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	291	0.032
15.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	292	0.032
16.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	293	0.223
17.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	294	0.225
18.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	295	0.391
19.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	296	0.266
20.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	297	0.040
21.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	949	1.556
22.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	950	0.060
23.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	951	0.529
24.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	952	0.842
25.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	953	0.076
26.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	954	0.077
27.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	955	0.206
28.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	956	0.206
29.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	957	0.203
30.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	958	0.201
31.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	959	0.238
32.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	960	0.516
33.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	961	0.254
34.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	962	0.026
35.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	963	0.121
36.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	964	0.129
37.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	965	0.876
38.	वाराणसी	नैपुराकलां	सदर	994	0.150
कुल					**30.375**

सत्यमेव जयते

अनुसूची- दो

उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण:

(एक)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव के पद से अनिम्न हो-पदेन;	**सदस्य-अध्यक्ष** धारा 3(3)(क) के अधीन
(दो)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव के पद से अनिम्न हो-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(ख) के अधीन
(तीन)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव के पद से अनिम्न हो-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(ग) के अधीन
(चार)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव के पद से अनिम्न हो-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(घ) के अधीन
(पाँच)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(ड.) के अधीन
(छः)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव के पद से अनिम्न हो-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(च) के अधीन नामनिर्दिष्ट
(सात)	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(च) के अधीन नामनिर्दिष्ट
(आठ)	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(च) के अधीन नामनिर्दिष्ट
(नौ)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(च) के अधीन नामनिर्दिष्ट
(दस)	निदेशक एवं आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग या उनका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त आयुक्त के पद से अनिम्न हो-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(च) के अधीन नामनिर्दिष्ट
(ग्यारह)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल औद्योगिक विकास प्राधिकरण।	सदस्य-सचिव धारा 3(3)(छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश